



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 1982/भाद्र 23, 1904
No. 409] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1982/BHADRA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अभिज्ञान

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1982

का. भा. 666(अ)।—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम,
1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक मी छप्पनवा
संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, —

(1) प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि “26-क. परिस्थिति विज्ञान विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“26-क. पर्यावरण विभाग” ;

(2) द्वितीय अनुसूची में “परिस्थिति विज्ञान विभाग” शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“पर्यावरण विभाग” ।

जैल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/11/82-मंत्री.]

प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 1982

S.O. 666(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) One hundred and fifty-sixth, Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule, for entry “26A. Department of Ecology (Paristhiti Vigyan Vibhag)”, the following entry shall be substituted, namely :—

“26A. Department of Environment
(Paryavarana Vibhag)”;

(2) in the Second Schedule, for the heading “DEPARTMENT OF ECOLOGY (PARISTHITI VIGYAN VIBHAG)”, the following heading shall be substituted, namely :—

“DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(PARYAVARAN VIBHAG)”.

ZAIL SINGH, President

[No. 74/2/11/82-Cab.]

PREM KUMAR, Addl. Secy.